

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

शे.वा.में,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

प्रशासन गति के संग
08/12/21

महोदय,

उपर्यक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम खेडा राजपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78 के खाता संख्या 52 में शमा/जिना के नाम जिना के बजाय शमा/जिना के नाम जिना के बजाय शमा/जिना किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

दिनांक:- 28/11/21

(नि. शमा)

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.नि.

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम खेडा राजपुरा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78 के खाता संख्या 52 में प्रार्थी का नाम शमा/जिना दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न खाता व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम शमा/जिना है। जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भू0अ0नि0 11/12/21

पटवारी 08/12/21

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी शमा/जिना व भू0अ0नि0 शमा/जिना एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम खेडा राजपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78 की खाता संख्या 52 में प्रार्थी का नाम शमा/जिना के बजाय शमा/जिना किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
शाहपुरा(भीलवाड़ा)

1506/21

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम खेडा राजपुरा जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 खाता संख्या 52 में दर्ज प्रार्थी का नाम शमा/जिना के स्थान पर शमा/जिना संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।

प्रभारी उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड शाहपुरा(भील0)
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

